राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17
पंचकूला।

अधिसूचना

क्रमांकः–रा0नि0आ0/3ई0–II/2010/1773 दिनांकः 15/05/2010

यह है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियिम 11) की धारा 211 की उपधारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसे समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग अधिसूचना संख्या का0आ067/ह0अ011/1994/धा0211/2010 दिनांक 07.05.2010 के द्वारा निर्देश देते हैं कि सभी ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों (सिवाए जिला भिवानी की तोशाम, जिला फतेहाबाद की जाखलमण्डी, जिला कुरूक्षेत्र की समालखा, जिला जीन्द की सिवानामाल तथा नया गांव सिवानामाल ग्राम पंचायत) और सभी पंचायती समितियों तथा जिला परिषदों (सिवाए पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुड़गांव तथा रिवाड़ी) के सदस्यों के आम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 15 जून, 2010 तक हरियाणा राज्य में करवाये जायेंगे।

2. यह कि ग्राम पंचायत तोशाम जिला भिवानी, जाखलमण्डी जिला फतेहाबाद और समालखा जिला कुरूक्षेत्र के पंचों व सरपंचों के लिए आम चुनाव उनकी समयावधि वर्ष 2011 और 2012 में पूर्ण होने के कारण नहीं करवायें जायेगें परन्तु इन ग्राम पंचायतों के मतदाता पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतू अपने मत का प्रयोग करेगें।

3. यह कि ग्राम पंचायत सिवानामाल तथा नया गांव सिवानामाल जिला जीन्द के पंचों व सरपंचों के आम चुनाव नहीं होंगे जैसा कि वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग के यादी क्रमांक ई0सी0ए0–2/16778 दिनांक 15.04.2010 अनुसार सूचित किया कि इन ग्राम पंचायतों की सीटों की पुनः वार्डबन्दी/सीट आरक्षण का कार्य प्रगति पर है। परन्तु इन ग्राम पंचायतों के मतदाता पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतू अपने मत का प्रयोग करेगें।

4. अब, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के खण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161की उपधारा (1) तथा धारा 211 की उप–धारा (2) और हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 24 के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा पंचायतों के चुनाव करवाने की समय अनूसची निर्धारित करता है

अर्थात ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों/सदस्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद। आयोग द्वारा निर्धारित समय अनूसूची नीचे दी जाती है :–

<u>समय अनुसूचि</u>

क	नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियम 24 के अन्तर्गत यथा– स्थिति प्रारूप 2 या 3 में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नोटिस प्रकाशित करने की तिथि	दिनांक 21.05.2010 (शुक्रवार)
ख	नामांकन करने की अवधि नियम 24 (क)	दिनांक 22.05.2010 (शनिवार) से 24.05.2010 (सोमवार) तक (प्रातः 9.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक) (रविवार दिनांक 23.05.2010 को छोड़कर)
ग	उम्मीदवार द्वारा निर्धारित परिपत्र में रिटरनिंग अधिकारी (पंचायत) को, यह सूचना देने की तिथि, कि उसकी कोई अयोग्यता तो नहीं है।	25.05.2010 (मंगलवार) प्रातः 10:00 बजे से पूर्व
घ	नामांकनों की छानबीन करने की तिथि नियम 24 (ख)	25.05.2010(मंगलवार) (प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक)
ड	उम्मीदवारी वापिस लेने की तिथि नियम 24 (ग)	27.05.2010(वीरवार) (सांय 4.00 बजे तक)
च	निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची तैयार करना नियम 32 और चुनाव चिन्ह आबंटित करना नियम,33	27.05.2010 (वीरवार)(उम्मीदवारी वापसी की अवधि समाप्ति के तुरंत बाद)
छ	मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो	06.06.2010 (रविवार)(प्रथम चरण) और 12.06.2010 (शनिवार)(द्वितीय चरण)

प्रथम चरण के चुनाव दिनांक 06.06.2010 (रविवार)(प्रातः7.30बजे से 4.00बजे तक)

क्र0सं0	जिला का नाम	खण्ड का नाम
1	अम्बाला	बराड़ा, शहजादपुर, साहा
2	भिवानी	भिवानी, बवानीखेड़ा, बाढ़ड़ा, दादरी–I, बहल
3	फरीदाबाद	फरीदाबाद, बल्लभगढ़
4	फतेहाबाद	रतिया, टोहाना, जाखल
5	जीन्द	जीन्द,सफीदों, नरवाना
6	झज्जर	मातनहेल,साल्हावास, बेरी
7	कैथल	गुहला,सीवन, कैथल
8	कुरुक्षेत्र	थानेसर, पिहोवा
9	महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल	महेन्द्रगढ़, कनीना
10	सिरसा	डबवाली,बढ़ागुढ़ा,औढ़ा,सिरसा
11	सोनीपत	गन्नौर,गोहाना,मुण्डलाना,कथूरा
12	मेवात स्थित नूंह	नगीना,पुन्हाना,फिरोजपुर झिरका
13	पलवल	होडल, हथीन

दूसरे चरण में मतदान दिनांक 12.06.2010 (शनिवार)
(प्रातः7.30बजे से 4.00बजे तक)

क्र0सं0	जिला का नाम	खण्ड का नाम
1	अम्बाला	अंबाला–1, अंबाला–II, नारायणगढ़
2	भिवानी	लोहारू,कैरू,तोशाम,दादरी–II, सिवानी
3	फतेहाबाद	फतेहाबाद,भट्टूकलां,भूना
4	जीन्द	पिल्लूखेड़ा,अलेवा,जुलाना,उचाना
5	झज्जर	झज्जर,बहादुरगढ़
6	कैथल	पुण्डरी,राजौन्द, कलायत
7	कुरुक्षेत्र	बाबैन,शाहबाद,लाडवा
8	महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल	नागंलचौधरी,अटेली,नारनौल
9	सिरसा	ऐलनाबाद,रानिया,नाथूसरी चौपटा
10	सोनीपत	सोनीपत,राई,खरखौदा
11	मेवात स्थित नूंह	तावडू, नूंह
12	पलवल	हसनपुर, पलवल

ज) मतों की गणना :

i) पंचों व सरपंचों के चुनाव के मामले में मतों की गणना चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद की जायेगी।

ii) सदस्य पंचायत समिति व सदस्य जिला परिषद के चुनाव के मामले में मतों की गणना दिनांक 14.6.2010 को प्रातः 8.00 बजे (उन बूथों को छोड़कर जहां जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पुर्नमतदान करवाये जाने की सिफारिश की जायेगी) खण्ड या जिला मुख्यालय जैसा भी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित किया जायेगा पर करवाई जायेगी।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, प्ररूप 2 या 3 में जैसी भी स्थिति होगी उपरोक्त कार्यक्रम सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा जैसा कि (i) नामाकंन करने के लिए अन्तिम तिथि, समय तथा स्थान (ii) नामांकनों की छानबीन करने के लिए तिथि, समय तथा स्थान (iii) उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए तिथि व समय (iv) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना और चुनाव चिन्ह आबंटित करना (v) तिथि तथा समय जिसके दौरान मतदान किया जायेगा और (vi) हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24 के उपनियम (क) (ख) और (ङ) के अन्तर्गत मतगणना के लिए तिथि, समय तथा स्थान, और इसकी सूचना नोटिस की प्रति सहित फैक्स द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करेगा।

6. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता हैं कि पंच व सरपंच के लिए नामाकंन पत्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भरा जायेगा व रिटरनिंग अधिकारी या सहायक रिटरनिंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा, सदस्य

पंचायत समिति के मामले में नामाकंन पत्र खण्ड मुख्यालय पर भरा जायेगा व रिटरनिंग अधिकारी/सहायक रिटरनिंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा और जिला परिषद के चुनावों के मामले में नामांकन पत्र जिला मुख्यालय पर भरा जायेगा व उपायुक्त जो कि जिला परिषद के लिए रिटरनिंग अधिकारी हैं या सहायक रिटरनिंग अधिकारी है द्वारा प्राप्त किया जायेगा । नामाकंन पत्रों की छानबीन का कार्य और चुनाव चिन्ह आबंटित करने का कार्य किसी सहायक रिटरनिंग अधिकारी को नही सौंपा जाए ।

7. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि सम्बन्धित उपायुक्त, रिटरनिंग अधिकारी पंचायत/ पंचायत समिति/जिला परिषद को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारुप जिसमें कि राजनीतिक अपराधीकरण का विवरण का उल्लेख हो से सम्बन्धित प्रारुप उपलब्ध करवायेगा । पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से अनुरोध किया जायेगा कि वह नामांकन पत्र के साथ सलंग्न प्ररुप में सादे कागज पर घोषणा करें । सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के लिये उम्मीदवार को नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर/पक्के कागज पर, ओथ कमिशनर जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हो/प्रथम श्रेणी मैजिस्टेट/नोटरी पब्लिक/उपमण्डल अधिकारी (ना0) तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसके पास कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां हों) और वह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो से सत्यापित हल्फिया ब्यान प्रस्तुत करना होगा।

8. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि नामांकन पत्र प्राप्त करते समय रिटरनिंग अधिकारी पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद हल्फिया ब्यान के लिये निर्धारित प्रारुप की प्रति उम्मीदवार को देगा जिसमे कि वह प्रस्तुत करेगा/करेगी कि वह किसी अयोग्यता से पीडित नहीं है, उम्मीदवार को यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि वह निर्धारित प्रारुप में हल्फिया ब्यान प्रस्तुत करेगा/करेगी। रिटरनिंग अधिकारी पंचायत/ पंचायत समिति/जिला परिषद हल्फिया ब्यान के लिए दिये गये प्रारुप की प्रति देने के लिये पावती प्राप्त करेगा और उसे नामांकन पत्र के साथ रखेगा।

9. राज्य निर्वाचन आयोग आगे यह निर्देश देता है कि उम्मीदवारी वापिस लेने के तुरंत पश्चात् संबंधित रिटरनिंग अधिकारी निर्धारित फार्म जोकि फार्म 6,7,8 और 9 (यथास्थिति) होंगे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा तथा उक्त फार्मों के कालम नं0 4 में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के नाम के सामने आबंटित किये गये चिन्ह दर्शायेगा। चिन्ह आबंटित करने के उपरांत उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के निर्धारित प्रारुप में हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिससे यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह् वितरित करने की सूचना दे दी गई है।

10. यह कि वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग द्वारा अपने यादी कमांक ई0सी0ए02– 2010/14160

दिनांक 07.05.2010 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2010 को याचिकाओं के समूह की सुनवाई करते हुये यह आदेश पारित किये गये कि पंचायत चुनावों के परिणाम याचिका नं0 3403 आफ 2010 के अन्तिम परिणाम पर निर्भर होंगे। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि पंचायत चुनावों के परिणाम याचिका नं03403 आफ 2010 में अंतिम निर्णय पर निर्भर होंगें।

आदेश द्वारा।

दिनांक पंचकूला
15 मई, 2010

पूर्ण मल
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा